

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/1911

दिनांक: 19.02.202

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित नगरीय निकायों हेतु कॉलम-3 में अंकित अधिकारियों के स्थान पर कॉलम संख्या-4 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पद पर पदाभिहित किया जाता है :-

1.	2.	3.	4.
जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/ निगम का नाम	पूर्व में नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	संशोधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
जोधपुर	नगर निगम जोधपुर	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम जोधपुर	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, शहर प्रथम जोधपुर

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

दिनांक: 19.02.202

क्रमांक:एफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.1/1912-1915

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जोधपुर।
2. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल करने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव